

विनियोग संख्या 34 - ब्याज अदायगियां
APPROPRIATION No. 34-INTEREST PAYMENTS

	कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:		
प्रभारित-	Charged-	207465,02,00	201143,36,37 -6321,65,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		6419,37,74

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. विनियोग में, अभ्यर्पित राशि (641937.74 लाख रु.) 632165.63 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।

1. In the appropriation, the amount surrendered (Rs.641937.74 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.632165.63 lakhs.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		
मुख्य शीर्ष "2048"	Major Head "2048"		
ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोग	Appropriation for reduction or Avoidance of Debt		
मू.	O.	240000.00	56304.00 56304.00 . .
पु.	R.	-183696.00	
मुख्य शीर्ष "2049"	Major Head "2049"		
ब्याज अदायगियां	Interest Payments		
मू.	O.	20506502.00	20048260.26 20058032.37 +9772.11
पु.	R.	-458241.74	

(I) 107879.69 लाख रु. का विनियोग पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 107834.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2049" - के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "अन्य दायित्वों पर ब्याज" -

(क) "पेट्रोलियम बांडों पर ब्याज - वर्ष 2007-08 के दौरान जारी किए जाने की संभावना वाली विशेष प्रतिभूतियां" - 77149.00 लाख रु. वर्ष के दौरान तेल विपणन कंपनियों को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज की अदायगी किए जाने के कारण थे।

(ख) "उर्वरक कंपनियों की विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज - जारी किए जाने की संभावना वाले विशेष बांड" - 30685.00 लाख रु. भारतीय खाद्य निगम को वर्ष के दौरान जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां और उनका तदनुसार संवितरण किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2048" - "अन्य विनियोग - सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी खरीद पर प्रीमियम की अदायगी" - 183696.00 लाख रु. की बचत (240000.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) वित्तीय वर्ष के बाद के भाग में बाजार स्थिरीकरण स्कीम की वापसी खरीद के कार्यान्वयन में विलंब होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2049" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "आंतरिक ऋण पर ब्याज" -

(क) "अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज" - 34459.34 लाख रु. की बचत (43800.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) अर्थोपाय अग्रिम का कम सहारा लिए जाने के कारण हुई।

(I) Appropriation of Rs.107879.69 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.107834.00 lakhs accounted for under Major Head "2049" - under the following heads:-

(A) "Interest on Other Obligations"-

(a) "Interest on Petroleum Bonds – Special Securities likely to be issued during 2007-2008"- Rs.77149.00 lakhs – due to payment of interest on the special securities issued to oil marketing companies during the year.

(b) "Interest on Special Securities to Fertiliser Companies-Special Bonds likely to be issued"- Rs.30685.00 lakhs – due to special securities issued to Food Corporation of India during the year and was distributed accordingly.

(II) Under Major Head "2048 – "Other Appropriations – Payment of premium on buyback of Government Securities" – saving of Rs.183696.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.240000.00 lakhs) was due to delayed implementation of MSS (Market Stabilisation Scheme) buyback in the latter part of financial year.

(III) Under Major Head "2049" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Interest on Internal Debt"-

(a) "Interest on Ways and Means Advances"- saving of Rs.34459.34 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.43800.00 lakhs) was due to less recourse to Ways and Means Advances.

- (ख) “बाजार स्थिरीकरण स्कीम के अंतर्गत बैंक में धनराशि की जमा पर अदा किया गया ब्याज” - 1478574.90 लाख रु. की बचत (2661569.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) बाजार स्थिरीकरण स्कीम के अंतर्गत कम प्रतिभूतियां जारी किए जाने के कारण हुई।
- (ग) “केंद्रीय/राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों के मोचन पर प्राप्त राशियों के पुनः निवेश के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां” - 30590.00 लाख रु. की बचत (675826.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) कुछ राज्य सरकारों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में कम निवेश किए जाने के कारण हुई।
- (घ) “अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज - प्रतिपूर्ति और अन्य बांड” - 2671.14 लाख रु. की बचत (789090.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) कम निवेश किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “बाह्य ऋण पर ब्याज” -
- (क) “अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से कर्ज पर ब्याज” - 34789.66 लाख रु. की बचत (130996.88 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) ब्याज दर में कमी आने के कारण हुई।
- (ख) “एशियाई विकास बैंक से कर्ज पर ब्याज” - 13719.70 लाख रु. की बचत (87427.51 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) ब्याज दर में कमी आने और प्रतिबद्ध प्रभागों का अधित्याग किए जाने के कारण हुई।
- (गा) “अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज” -
- (क) “राज्य भविष्य निधि पर ब्याज” -
- (b) “Interest paid on Market Stabilisation Scheme Deposit of Money in the Bank”- saving of Rs.1478574.90 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.2661569.00 lakhs) was due to issue of less securities under Market Stabilisation Scheme.
- (c) “Special Government of India securities issued to NSSF against reinvestment of sum received on redemption of Special Central/State Governments Securities” – saving of Rs.30590.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.675826.00 lakhs) was due to less investment in the government securities by some State Governments.
- (d) “Interest on Other Internal Debts – Compensation and Other Bonds” – saving of Rs.2671.14 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.789090.00 lakhs) was due to less investment.
- (B) “Interest on External Debt”-
- (a) “Interest on Loans from the International Bank for Reconstruction and Development” – saving of Rs.34789.66 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.130996.88 lakhs) was due to decrease in interest rate.
- (b) “Interest on Loans from Asian Development Bank” – saving of Rs.13719.70 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.87427.51 lakhs) was due to decrease in interest rate and waiver of commitment charges.
- (C) “Interest on Small Savings, Provident Funds etc.”-
- (a) “Interest on State Provident Fund” –

(i) "सामान्य भविष्य निधि" - 13859.71 लाख रु. की बचत (334275.98 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) अधिक आहरणों के कारण हुई।

(ii) "अन्य राज्य भविष्य निधियां" - 4351.34 लाख रु. की बचत (145499.68 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) निधि में कम निवल वृद्धि होने के कारण हुई।

(ख) "बीमा और पेंशन निधियों पर ब्याज" -

(i) "संघ राज्य क्षेत्र सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम" - 119.55 लाख रु. की बचत (1411.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) कम अदायगी किए जाने के कारण हुई।

(ii) "डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि" - 13973.31 लाख रु. की बचत (136416.14 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) कम अंशदान किए जाने के कारण हुई।

(ग) "अन्य जमाओं और लेखों पर ब्याज" -

(i) "सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा स्कीम पर ब्याज" - 733.13 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई; और

(ii) "सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा स्कीम पर ब्याज" - 197.40 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें जमाओं में कम वृद्धि होने के कारण हुई।

(घ) "परिभाषित अंशदान पेंशन स्कीम पर ब्याज" - 4516.82 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) सरकार द्वारा मार्च,

(i) "General Provident Fund" - saving of Rs.13859.71 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.334275.98 lakhs) was due to more withdrawals.

(ii) "Other State Provident Funds" - saving of Rs.4351.34 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.145499.68 lakhs) was due to less net accretion to the fund.

(b) "Interest on Insurance and Pension Funds"-

(i) "Union Territory Government Employees Group Insurance Scheme" - saving of Rs.119.55 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.1411.00 lakhs) was due to less payment.

(ii) "Postal Insurance and Life Annuity Fund" - saving of Rs.13973.31 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.136416.14 lakhs) was due to less contribution.

(c) "Interest on Other Deposits and Accounts" -

(i) "Interest on Deposits Scheme for retiring Government employees" - saving of Rs.733.13 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.800.00 lakhs); and

(ii) "Interest on Deposits Scheme for retiring employees of Public Sector Undertakings" - saving of Rs.197.40 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.200.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less accretion of deposits.

(d) "Interest on Defined Contribution Pension Scheme" - saving of Rs.4516.82 lakhs (against the sanctioned appropriation of

2008 के बाद नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत निधियों के संचयन पर ब्याज अदायगी को समाप्त किए जाने के कारण हुई।

Rs.5000.00 lakhs) was due to cessation of interest payment by the Government on accumulation of funds under New Pension Scheme after Marh, 2008.

(घा) “आरक्षित निधियों पर ब्याज” -

(D) “Interest on Reserve Funds” -

(क) “मूल्यह्रास नवीकरणीय आरक्षित निधियों पर ब्याज - अफीम और एल्केलाइड कारखाना मूल्यह्रास आरक्षित निधि” - 104.78 लाख रु. की बचत (220.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) जमाओं में कमी आने के कारण हुई।

(a) “Interest on Depreciation renewal Reserve funds - Opium and Alkaloid Factories Depreciation Reserve Fund” - saving of *Rs.104.78 lakhs* (against the sanctioned appropriation of *Rs.220.00 lakhs*) was due to decrease in deposits.

(ख) “सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज” -

(b) “Interest on General and Other Reserve Funds” -

(i) “रेलवे पेंशन निधि” - 3357.86 लाख रु. की बचत (15506.58 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(i) “Railway Pension Fund”- saving of *Rs.3357.86 lakhs* (against the sanctioned appropriation of *Rs.15506.58 lakhs*);

(ii) “रेलवे स्टाफ हितलाभ निधि” - 777.44 लाख रु. की बचत (834.41 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई; और

(ii) “Railway Staff Benefit Fund”- saving of *Rs.777.44 lakhs* (against the sanctioned appropriation of *Rs.834.41 lakhs*); and

(iii) “रेलवे पूंजीगत आरक्षित निधि पर ब्याज” - 20206.24 लाख रु. की बचत (75209.57 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई।

(iii) “Interest on Railway Capital Reserve Fund”- saving of *Rs.20206.24 lakhs* (against the sanctioned appropriation of *Rs.75209.57 lakhs*).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें निधि में कम वृद्धि होने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to less accretion to the fund.

(ङ) “अन्य दायित्वों पर ब्याज - विविध” -

(E) “Interest on other Obligations - Miscellaneous”-

(क) “एसडीआर के उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय प्रभार” - 4568.90 लाख रु. की बचत (15735.18 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव आने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रक्षेपण में बदलाव किए जाने के कारण हुई।

(a) “Charges payable to IMF for utilisation of SDRs”- saving of *Rs.4568.90 lakhs* (against the sanctioned appropriation of *Rs.15735.18 lakhs*) was due to exchange rate variation and change in projection by the IMF .

- (ख) "अन्य व्यय" - 134.10 लाख रु. की बचत (147.08 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) कम अदायगी किए जाने के कारण हुई।
- (b) "Other Expenditure" - saving of Rs 134.10 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.147.08 lakhs) was due to less payments.
- 2.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2049" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-
- 2.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head "2049" - under the following heads:-
- (का) "आंतरिक ऋण पर ब्याज" -
- (A) "Interest on Internal Debt" -
- (क) "बाजार कर्जों पर ब्याज" - 725663.57 लाख रु. का अधिक व्यय (10313653.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) ज्यादा बाजार कर्ज की उगाही किए जाने के कारण हुआ।
- (a) "Interest on Market Loans" - excess of Rs.725663.57 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.10313653.00 lakhs) was due to raising of more market loans.
- (ख) "भारतीय रिजर्व बैंक को जारी किए गए खजाना बिल और संबद्ध प्रतिभूतियां - खजाना बिलों पर छूट - 91 दिनों के खजाना बिल" - 150624.51 लाख रु. का अधिक व्यय (263900.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ;
- (b) "Treasury Bills and connected securities issued to Reserve Bank of India - Discount on Treasury Bills - 91 days Treasury Bills"- excess of Rs.150624.51 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.263900.00 lakhs);
- (ग) "182 दिनों के खजाना बिल" - 50331.26 लाख रु. का अधिक व्यय (76200.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ; और
- (c) "182 days Treasury Bills"- excess of Rs.50331.26 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.76200.00 lakhs); and
- (घ) "364 दिनों के खजाना बिलों पर ब्याज" - 44159.87 लाख रु. का अधिक व्यय (245800.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ।
- (d) "Interest on 364 days Treasury Bills"- excess of Rs.44159.87 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.245800.00 lakhs).
- उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय ज्यादा खजाना बिल जारी किए जाने के कारण हुआ।
- Excess under the above three heads was due to issue of more Treasury Bills.
- (ङ) "14 दिनों के खजाना बिल" - 75524.19 लाख रु. का अधिक व्यय (194500.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा अधिशेष निधियों का ज्यादा निवेश किए जाने के कारण हुआ।
- (e) "14 days Treasury bills"- excess of Rs.75524.19 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.194500.00 lakhs) was due to more investment of surplus funds by the State Governments.
- (च) "ऋण प्रबंधन" - 732.57 लाख रु. का अधिक व्यय (35664.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) ज्यादा राशियां उधार लिए जाने के कारण प्रबंधन
- (f) "Management of Debt" - excess of Rs.732.57 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.35664.00 lakhs) was

प्रभारों, चल प्रभारों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिक दावे किए जाने के कारण हुआ।

due to more claims by RBI towards management charges, floatation charges on account of higher borrowings.

- (खा) “बाह्य ऋण पर ब्याज” -
- (क) “फ्रांस की सरकार से कर्ज पर ब्याज” - 935.85 लाख रु. का अधिक व्यय (4830.02 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ;
- (ख) “जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार से कर्जों पर ब्याज” - 1978.10 लाख रु. का अधिक व्यय (7875.51 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ग) “अंतर्राष्ट्रीय विकास परिसंघ से कर्जों पर ब्याज” - 11555.80 लाख रु. का अधिक व्यय (78423.26 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ;
- (घ) “कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि से कर्जों पर ब्याज” - 112.87 लाख रु. का अधिक व्यय (1126.08 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ;
- (ङ) “जापान की सरकार से कर्जों पर ब्याज” - 28286.13 लाख रु. का अधिक व्यय (79938.08 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ;
- (च) “अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, संयुक्त राज्य अमरीका से कर्जों पर ब्याज - अमरीकी सहायता” - 839.76 लाख रु. का अधिक व्यय (4656.88 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ;
- (छ) “पी एल-480 परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा ऋणों के अधीन संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से कर्जों पर ब्याज” - 204.80 लाख रु. का अधिक व्यय (1165.94 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ; और
- (B) “Interest on External Debt”-
- (a) “Interest on Loans from the Government of France” - excess of Rs.935.85 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.4830.02 lakhs);
- (b) “Interest on Loans from the Government of Federal Republic of Germany” - excess of Rs.1978.10 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.7875.51 lakhs);
- (c) “Interest on Loans from International Development Association” –excess of Rs.11555.80 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.78423.26 lakhs);
- (d) “Interest on Loans from International Fund for Agricultural Development” – excess of Rs.112.87 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.1126.08 lakhs);
- (e) “Interest on Loans from the Government of Japan” - excess of Rs.28286.13 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.79938.08 lakhs);
- (f) “Interest on Loans from the Agency for International Development, USA - US Aid”– excess of Rs.839.76 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.4656.88 lakhs);
- (g) “Interest on Loans from the Government of USA under PL-480 Convertible local currency credits” –excess of Rs.204.80 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.1165.94 lakhs); and

(ज) “सोवियत संघ की सरकार से कर्जों पर ब्याज” - 9660.57 लाख रु. का अधिक व्यय (17594.28 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय विनिमय दर में उतार-चढ़ाव आने के कारण हुआ।

(गा) “अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज” -

(क) “राज्य भविष्य निधि पर ब्याज - राज्य रेलवे भविष्य निधि” - 12479.06 लाख रु. का अधिक व्यय (103596.21 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ;

(ख) “बीमा और पेंशन निधियों पर ब्याज - औद्योगिक कामगारों के लिए परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा निधि” - 1756.10 लाख रु. का अधिक व्यय (356433.84 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ;

(ग) “विशेष जमाओं और लेखों पर ब्याज - ईपीएफ/ईडीएलआई की विशेष जमा” - 2466.56 लाख रु. का अधिक व्यय (38910.91 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ; और

(घ) “क्षेत्रीय जमाओं पर बोनस - भारत रैंकों के असंवितरित वेतन के लिए बोनस” - 2470.53 लाख रु. का अधिक व्यय (9268.02 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय अधिक जमाओं के कारण हुआ।

(घा) “आरक्षित निधियों पर ब्याज” -

(क) “मूल्यहास नवीकरणीय आरक्षित निधियों पर ब्याज - रेलवे मूल्यहास आरक्षित निधि” - 6844.49 लाख रु. का अधिक व्यय (19138.99 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) निधि में कुल मिलाकर ज्यादा वृद्धि किए जाने की वजह से ब्याज का ज्यादा प्रोद्भवन होने के कारण हुआ।

(h) “Interest on Loans from the Government of USSR” – excess of Rs.9660.57 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.17594.28 lakhs).

Excess under the above eight heads was due to exchange rate variation.

(C) “Interest on Small Savings, Provident Funds etc.” –

(a) “Interest on State Provident Fund - State Railway Provident Fund”- excess of Rs.12479.06 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.103596.21 lakhs);

(b) “Interest on Insurance and Pension Funds - Family Pension-cum-Life Assurance Funds for Industrial Workers” - excess of Rs.1756.10 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.356433.84 lakhs);

(c) “Interest on Special Deposits and Accounts - Special Deposits of EPF/EDLI”- excess of Rs.2466.56 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.38910.91 lakhs); and

(d) “Bonus on field deposits - Bonus for undischarged Pay of India Ranks” – excess of Rs.2470.53 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.9268.02 lakhs).

Excess under the above four heads was due to more deposits.

(D) “Interest on Reserve Funds”-

(a) “Interest on Depreciation Renewal Reserve Funds - Railway Depreciation Reserve Fund”- excess of Rs.6844.49 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.19138.99 lakhs) was due to higher accrual of interest owing to overall higher accretion to the fund.

- (ख) "रेलवे विकास निधि पर ब्याज" - 3857.98 लाख रु. का अधिक व्यय (20180.96 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) ब्याज की औसत दर में वृद्धि होने और निधि में ज्यादा बढ़ोतरी किए जाने के कारण हुआ।
- (ग) "सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज - मूल्य स्थिरीकरण निधि पर ब्याज" - 152.47 लाख रु. का अधिक व्यय (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ।
- (ङ) "अन्य दायित्वों पर ब्याज" -
- (क) "जमाओं पर ब्याज - राष्ट्रीय रक्षा निधि" - 189.79 लाख रु. का अधिक व्यय (6003.76 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) अंशदान में वृद्धि होने और कम आहरण किए जाने के कारण हुआ।
- (ख) "पेट्रोलियम बांडों पर ब्याज - 8.40 प्रतिशत तेल कंपनियां भारत सरकार विशेष बांड, 2005" - 78094.13 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य विनियोग की तुलना में) हुआ; और
- (ग) "उर्वरक कंपनियों की विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज - 7.95 प्रतिशत उर्वरक कंपनियां भारत सरकार विशेष बांड, 2026" - 28699.50 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य विनियोग की तुलना में) हुआ।
- उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय विशिष्ट कूपन दर सहित वर्ष के दौरान तेल विपणन कंपनियों को प्रतिभूतियां जारी करने पर एकमुश्त प्रावधान से बचत का विनियोग किए जाने और परिपक्वता अवधि पूरी होने के कारण हुआ।
- (घ) "भारतीय स्टेट बैंक अधिकार निर्गम 8.35 प्रतिशत विशेष बांड, 2024 पर ब्याज" - 83467.13 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य विनियोग की तुलना में) मार्च, 2008 के महीने में भारतीय स्टेट बैंक अधिकार निर्गम के अभिदान के बदले भारतीय स्टेट बैंक को प्रतिभूतियां जारी करने के लिए बचतों का विनियोग किए जाने के कारण हुआ।
- (b) "Interest on Railway Development Fund" - excess of Rs.3857.98 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.20180.96 lakhs) was due to increase in average rate of interest and higher accretion to the fund.
- (c) "Interest on General & Other Reserve Funds - Interest on Price Stabilisation Fund" - excess of Rs.152.47 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.4500.00 lakhs) was due to more payment.
- (E) "Interest on Other Obligations"-
- (a) "Interest on Deposits - National Defence Fund" - excess of Rs.189.79 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.6003.76 lakhs) was due to increase in contribution and less withdrawals.
- (b) "Interest on Petroleum Bonds - 8.40% Oil Companies GoI Special Bonds,2025" - excess of Rs.78094.13 lakhs (against nil appropriation); and
- (c) "Interest on Special Securities to Fertiliser Companies - 7.95% Fertiliser Companies GoI Special Bonds,2026" - excess of Rs.28699.50 lakhs (against nil appropriation).
- Excess under the above two heads was due to appropriation of savings from lumpsum provision on issue of securities to the oil marketing companies during the course of the year with specific coupon rate and maturity.
- (d) "Interest on SBI Rights issue 8.35% Special Bonds, 2024"- excess of Rs.83467.13 lakhs (against nil appropriation) was due to appropriation of savings towards issue of securities to SBI against subscription of SBI Rights Issue in the month of March, 2008.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 51.38 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत विनियोग का 90 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of *Rs.51.38 lakhs* occurred constituting 90 percent of the sanctioned *appropriation*.
